राजस्थान सरकार

प्रशासनिक सुधार (अनु.–3) विभाग

प 6(09)/प्र.सु./अनु–3/2021 जयपुर दिनांक : 14.02.2022

आज्ञा

इस विभाग के आदेश क्रमांक प.6(12)प्र.सु./अनु–3/2008 दिनांक 07.03.2008 से गठित कमेटी के पुनः संचालन के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हेतु भारत सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रीय योजना–2041 के अन्तर्गत विभिन्न विकास नीतियों प्रस्तावों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का समन्वयन एवं निरीक्षण करने हेतु महामहीम राज्यपाल महोदय निम्नानुसार स्टेयरिंग कमेटी के पुनर्गठन की स्वीकृति प्रदान करते है:–

1.	मुख्य सचिव, राजस्थान।	अध्यक्ष
2.	सदस्य सचिव, एनसीआर प्लानिंग बोर्ड, भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय।	सदस्य
3.	अतिरिक्त मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान।	सदस्य
4.	अतिरिक्त मुख्य सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं भू–जल विभाग, राजस्थान।	सदस्य
5.	अतिरिक्त मुख्य सचिव, यातायात विभाग, राजस्थान।	सदस्य
6.	प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान।	सदस्य
7.	प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान।	सदस्य
8.	अध्यक्ष, रीको, राजस्थान।	सदस्य
9.	प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान।	सदस्य
10.	प्रमुख शासन सचिव, पर्यावरण विभाग, राजस्थान।	सदस्य
11.	प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान।	सदस्य
12.	प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान।	सदस्य
13.	प्रमुख शासन सचिव, पर्यटन विभाग, राजस्थान।	सदस्य
14.	प्रमुख शासन सचिव, उद्योग विभाग, राजस्थान।	सदस्य
15.	शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान।	सदस्य
16.	शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।	सदस्य
17.	जिला कलक्टर, अलवर।	सदस्य
18.	आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल।	सदस्य
19.	आयुक्त, डीएमआईसी, राजस्थान।	विशेष आमन्त्रित सदस्य
20.	जिला कलक्टर, कोटा।	सदस्य
21.	जिला कलक्टर, भरतपुर।	सदस्य
22.	सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर।	सदस्य
23.	सचिव, नगर विकास न्यास, भरतपुर।	सदस्य
24.	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान।	सदस्य
25.	मुख्य नगर नियोजक (एनसीआर),राजस्थान।	सदस्य सचिव

उक्त समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार आवश्यक रूप से होगी। उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग नगरीय विकास विभाग होगा। उक्त समिति का कार्याकाल वर्ष 2041 तक होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मुन्नी मीना)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. समिति से संबंधित समस्त सदस्यगण।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।
8. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को आदेश की अतिरिक्त प्रतियां समस्त संबंधित को वितरण हेतु प्रेषित है।
9. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव